

22/05/18

पञ्जावली भाज न्याय कायदे कार समिधान-
2018 डेप्य बोर्ड गणम पेचमयत सगु सुलान
मे रफी गई, आधी कहील उपल्लित। विपारीगण
वापसूड लामिल अनुउपल्लित। आधी के अधिवस्ता
की रडपनीय बहस सुनी गई आधी के अधिवस्ता
ने कलामा की आधी को कपने च्यालेसारी म्येले के
चारे कोर पचे नेपम त-आपिल डलवाना कारभउ
हो इसलिए आधी का नेपमवनी कोकेल तबीअर
विधा जाडर नेपमवनी कोकेल विधा जाके।

कतः आधी का नेपमवनी कोकेल
तबीअर विधा जाडर तडमीलडर गिण के डमिशान
निमुक्त विधा जाल हो व कोकेल विधा जाल हो
वि काय स्वमं आ कपने अधिवस्ता किली भी
भू डमिलेय निरिसड ले आधी के च्यालेसारी म्येले
की पची नेपमवनी मोडे पर डमिशान सुलड
जमा डराडर डरे, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
शामिल पञ्जावली हो, पञ्जावली केतव सुमार हो
दर नम्बर ले डम हो, दाखिल डमल हो।

न्यायालय र
राज
कमांक / न्याय आफके
प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु

राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

(केम्प कोर्ट, सवाउ मूलराज)

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 327

दिनांक:- 22/05/2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्री खेताराम पुत्र गेनाराम वगैरा 8,
जातियान्-जाट,
निवासीयान-रामदेरिया, सवाउ मूलराज,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

1. श्री राजुराम पुत्र अर्जुनराम वगैरा 25
जातियान्-जाट, निवासीयान-रामदेरिया,
सवाउ मूलराज, तहसील-गिड़ा,
जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :- 133/18

आदेश

मौजा रामदेरिया पटवार हल्का सवाउ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 330, 461/381, 462/395, 463/396 रकबा कमशः 12.18, 29.07, 04.00, 25.05 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अग्रिम प्रभाषी से पुलिस थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/ 328-32
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:-22/05/2018

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, सवाउ मूलराज को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र गेनाराम वगैरा 8।
4. विप्रार्थी श्री राजुराम पुत्र अर्जुनराम वगैरा 25।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

16. अमराराम पुत्र अणदाराम

17. बालाराम पुत्र सोनाराम

खेताराम